रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक:- श्रीमान जी मेरे द्वारा जांच की गई तथा मौजूद पटवार मण्डल कनकपुरा की वर्तमान जमाबन्दी रजत सं० 9 में दर्ज है। खातेदार का नाम स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर दर्ज है। यह बैंक वर्तमान में स्टेट बैंक आफ इण्डिया बैंक में विलय हो गया है। अतः बैंक का नाम इस प्रकार होना उचित है।

सुनीता चाहर
भू० अभि० निरीक्षक
नकटाकलां, राज० तलावड़ा

रिपोर्ट तहसीलदार :-

R/Sir, पटवारी कुनबुयरलां व भूअभि कुनबुयरलां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत की जमाबंदी वर्ष 2018-19 के खाता नं० 9 में बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के विलय के पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में हो जाने के उपरांत भी बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया दर्ज करने के अंदेशाधि पेश है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी

क्रमांक **दिनांक:-**

रिपोर्ट तहसीलदार तलावड़ा,भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के आधार पर बैंक का नाम शुद्ध दर्ज किए जाने के उपरोक्तानुसार। आदेश दिये जाते हैं,तहसीलदार तलावड़ा मुताबिक़ आदेश राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धीकरण करके पालना पेश करे!

उपखण्ड अधिकारी ,गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

7510
9/12/25

क.प
176
25

दिनांक
2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:34:51 IST
Reason: SelfAttested